



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड, सिकंदराबाद



सीईएन 03/2024- जूनियर इंजीनियर (जेई), डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस), रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), रासायनिक पर्यवेक्षक (अनुसंधान) और धातुकर्म पर्यवेक्षक (अनुसंधान) चिकित्सा अपील हेतु सूचना

सं. रेभबो/सि./607/सीईएन-03/2024/जेई/3/2024/एमई

दिनांक: 08.07.2026

सीईएन 03/2024 के तहत जूनियर इंजीनियर (जेई), डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस), रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), रासायनिक पर्यवेक्षक (अनुसंधान) और धातुकर्म पर्यवेक्षक (अनुसंधान) के पद 68 अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 08.06.2026 के ब्लॉक तिथि डीवी सहित अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन-3 क्रमशः 25.05.2026 से 26.05.2026 तक आयोजित किया गया। अभ्यर्थियों को दमरे के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षण हेतु भेजा गया। तदुपरांत, प्राप्त चिकित्सा रिपोर्टों के अनुसार विभिन्न चिकित्सा समितियों द्वारा अभ्यर्थी जो निर्धारित चिकित्सा मानकों यथा ए 3 में अनफिट पाए गए हैं उन्हें चिकित्सा अपील का अवसर प्रदान जाता है और संबंधित प्रक्रिया यथावत संलग्न है।

यदि कोई उल्लिखित अभ्यर्थी संबंधित चिकित्सा समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहता/चाहती है, तो उन्हें प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद को संबोधित करते हुए मेडिकल पुनः परीक्षण हेतु अपील स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथों हाथ 07 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तक निम्नलिखित पते पर पहुंचाना होगा-

सदस्य सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, इरिसेट कैम्पस के पीछे,
दक्षिण लालागुड़ा, सिकंदराबाद-500017 (तेलंगाना)

महत्वपूर्ण:

- चिकित्सा पुनः परीक्षण के लिए अपील पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब अभ्यर्थी सरकारी/निजी चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप के अनुसार) प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस चिकित्सा कारण का उल्लेख हो जिसके कारण अभ्यर्थी को अयोग्य पाया गया।
- अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
 - चिकित्सा प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-ए के अनुसार)।
 - चिकित्सा पुनः परीक्षा अपील के लिए प्रोफार्मा (अनुलग्नक-बी के अनुसार)।
 - पीएफए, दक्षिण मध्य रेलवे/सिकंदराबाद के पक्ष में 1,000/- (केवल एक हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट।

दिनांक: 08.07.2026

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड, सिकंदराबाद

चेतावनी: नियुक्ति पाने के लिए अनुचित या अवैध साधनों का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों को स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन पर आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया जाएगा।

सीईएन 03/2024 ((जेई), डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस), रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), रासायनिक पर्यवेक्षक (अनुसंधान) और धातुकर्म पर्यवेक्षक (अनुसंधान) के रे.भ.बो., सिकंदराबाद में अतिरिक्त डीवी-3 एवं पूर्व डीवी के तहत चिकित्सा अपील के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची			
क्र.सं.	रोल नं. सीबीटी-II	डीवी क्र.सं.	चिकित्सा फिटनेस
1	283242240917697	610	बी-वन
2	283242280831816	616	दिव्यांग (एलडी) के अंतर्गत सभी श्रेणियों में अनफिट पाए गए
3	283242281022258	566	सभी श्रेणियों के लिए अनफिट पाए गए

पुनः मेडिकल परीक्षण के लिए अपील के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला मेडिकल प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा।

(प्राधिकरण: रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2014/एच/5/8 (नीति), दिनांक: 07-07-2017)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने नीचे उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी:

जारीकर्ता प्राधिकरण
द्वारा अनुप्रमाणित
फोटो

.....

पुत्र, पत्नी, पुत्री

पता

.....

..... का परीक्षण किया है जिसने

पद के लिए रेलवे में आवेदन किया है। रेलवे में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित मानक है।

पद	वर्ग	उपरोक्त पद के लिए रेलवे द्वारा आवश्यक मानक	अभ्यर्थी की परीक्षण के निष्कर्ष	अभ्युक्तियां
		1. 2. 3.		

पहचान चिह्न:

1.

2.

मैं, डॉक्टर रेलवे द्वारा विशेष चिकित्सा श्रेणी के लिए निर्धारित शारीरिक और दृश्य मानकों से पूरी तरह अवगत हूँ और मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि उम्मीदवार को इस संबंध में सरकार द्वारा नियुक्त तीन वरिष्ठ रेलवे डॉक्टरों वाले उपयुक्त रेलवे मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा के दौरान इन मानकों के अनुसार पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

विशेषज्ञ का नाम: डॉ.

एमसीआई पंजीकरण सं

.....

स्थान

दिनांक

(मुहर सहित विशेषज्ञ के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक-बी

प्रेषक:

दिनांक:

नाम: _____

रोल नंबर: _____

डीवी क्र.सं.: _____

मोबाइल नंबर: _____

ईमेल आईडी: _____

सीईएन सं.: _____

सेवा में

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक,

दक्षिण मध्य रेलवे,

सिकंदराबाद (तेलंगाना)

(अध्यक्ष, आरआरबी/सिकंदराबाद के माध्यम से)

विषय: सीईएन 03/2024 - (जेई), डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस), रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), रासायनिक पर्यवेक्षक (अनुसंधान) और धातुकर्म पर्यवेक्षक (अनुसंधान) के अंतर्गत चिकित्सा पुनः परीक्षण के लिए अपील

- i) पद हेतु दिनांक/...../..... को आरआरबी, सिकंदराबाद में मेरी आयोजित दस्तावेज़ सत्यापन के उपरांत, मैंरेलवे अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित हुआ।
- ii) उक्त अस्पताल प्राधिकारियों ने मुझे..... श्रेणी में अयोग्य घोषित किया है। इसलिए मैं इसके विरुद्ध अपील करना चाहता/चाहती हूँ।
- iii) मैं एतद्वारा विशेषज्ञ से प्रमाण पत्र (प्रोफार्मा-ए) सहित रु.1,000/-का बैंक डिमांड ड्राफ्ट संलग्न कर रहा/रही हूँ, जिसका क्रमांकदिनांक/...../2026 है जिसे पीएफए, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के पक्ष में(बैंक) के माध्यम से तैयार किया गया है।

कृपया मेरा अपील स्वीकार करके आवश्यक कार्रवाई करें।

संलग्नक: 1. चिकित्सा प्रमाण पत्र(अनुलग्नक-ए)

2. डिमांड ड्राफ्ट (यथोक्त)

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)